रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1662] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2009/आश्विन 22, 1931
No. 1662] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2009/ASVINA 22, 1931

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2603(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 54 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ब्लाइंड पर्सनस एसोसिएशन, 10/2, सैमशुल हुदा रोड , कोलकाता द्वारा " विद्यापल्ली मालंदा, माहीनगर, दक्षिण 24 परगना में ब्रेल प्रेस के लिए भवन का निर्माण,पुस्तकालय, अंध विद्यालय, प्रेक्षागृह, डारमिटरी ब्रेल प्रेस की खरीद एवं संचालन " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 5 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 26 मई , 2000 की अधिसूचना सं0 का.आ. 500 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1134 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 4 सितम्बर , 2006 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1405 (का.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्लाइंड पर्सनस एसोसिएशन, 10/2, सैमशुल हुदा रोड , कोलकाता द्वारा चलाई जा रही " विद्यापल्ली , मालंदा, माहीनगर, दक्षिण 24 परगना में ब्रेल प्रेस के लिए भवन का निर्माण,पुस्तकालय, अंध विद्यालय, प्रेक्षागृह, डॉरमिटरी , ब्रेल प्रेस की खरीद एवं संचालन " की परियोजना अथवा स्कीम को 187.50 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 96/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2603(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Construction of buildings for Braille Press, library, blind school, auditorium, dormitory, purchase of Braille Press and running of Braille Press Complex at Vidyapalli, Malanda, Mahinagar, South-24 Parganas" by Blind Persons' Association, 10/2, Shamsul Huda Road, Kolkata, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.500(E) dated the 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.1134(E) dated the 29th September, 2003 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1405(E) dated the 4th September, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of buildings for Braille Press, library, blind school, auditorium, dormitory, purchase of Braille Press and running of Braille Press Complex at Vidyapalli, Malanda, Mahinagar, South-24 Parganas" being carried out by Blind Persons' Association, 10/2, Shamsul Huda Road, Kolkata, without any change in the approved cost of Rs.187.50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012.

[No. 96/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2604(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 नवम्बर , 1992 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 878 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, द्वारा समाज सेवा केन्द्र, सर्वे सं0 4272, अकुरदी डाकखाने के पीछे , अकुरदी, पुणे-411035 द्वारा " एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1993-1994 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 4 अप्रैल , 1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 293 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 20 मई, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 438 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और

गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1384 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई , 2004 की अधिसूचना सं0 का.आ.0 789 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 3 अक्तूबर , 2008 की अधिसूचना का.आ. आ0 2400 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20 मई, 1998, की अधिसूचना सं0 का.आ. 438(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 118.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 180.72 लाख रुपये कर दिया गया था, जिसे दिनांक 11 मई , 1999 की अधिसूचना सं0 का.आ. 0 319(अ) द्वारा 180.72 लाख रूपये से बढ़ाकर 298.60 लाख रुपये कर दिया गया था, जिसे दिनांक 5 जुलाई , 2004 की अधिसूचना सं0 का.आ. 789(अ) द्वारा 298.60 लाख रूपये से और बढ़ाकर 704.14 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 704.14 लाख रूपये से बढ़ाकर 821.80 लाख रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
(क) जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, द्वारा समाज सेवा केन्द्र, सर्वे सं0 4272, अकुरदी डाकखाने के पीछे , अकुरदी, पुणे-411035 द्वारा " एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना " की परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।
(ख) दिनांक 30 नवम्बर , 1992 की अधिसूचना सं0 878(अ0) में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना के क्रम सं0 3 के सामने की सारणी में कॉलम (4), जो धारा 35 क ग के अंतर्गत अनुमत्य अधिकतम कटौती की राशि से संबंधित है, में "704.14 लाख रुपए" अक्षर, शब्द और आंकड़ों के स्थान पर "821.80 लाख रुपये" शब्द, आंकड़ें और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[सं. 97/2009/फा. सं.-वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2604(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.878(E) dated the 30th November, 1992, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Integrated Rural Development Project" by Jankidevi Bajaj Gram Vikas Sanstha, C/o Samaj Seva Kendra, Survey No.4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune – 411 035, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-1994, which was extended further vide notification number S.O.293(E) dated the 4th April, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O.438(E) dated the 20th May, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.1384(E) dated the 30th December, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.789(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.2400(E) dated the 3rd October, 2008 for a period of two years beginning with financial year 2008-2009;

And whereas by notification number S.O.438(E) dated the 20th May, 1998 the estimated cost was enhanced from Rs. 118.00 lakh to Rs.180.72 lakh, vide notification number S.O.319(E) dated the 11th May, 1999 the estimated cost was further enhanced from Rs.180.72 lakh to Rs.298.60 lakh and vide notification number S.O.789(E) dated the 5th July, 2004 the estimated cost was further enhanced from Rs.298.60 lakh to Rs.704.14 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from Rs.704.14 lakh to Rs.821.80 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby specifies the scheme or project "Integrated Rural Development Project", which is being carried out by Jankidevi Bajaj Gram Vikas Sanstha, C/o Samaj Seva Kendra, Survey No.4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune – 411 035;

(b) further amends the said notification number S.O.878(E) dated the 30th November, 1992, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.704.14 lakh", the letters, figures and word "Rs.821.80 lakh" shall be substituted.

[No. 97/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2605(अ).—जबकि** आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1124 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इंडियन सेंटर फार प्लास्टिक इन दी इनवायरमेंट, द्वितीय तल, कुशेश मेंन्शन, 22 कावसजी पटेल स्ट्रीट और 48/54 जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुम्बई -400001 द्वारा " पर्यावरण मित्र सह तरीके से प्लास्टिक कूड़े का पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग करना " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1424 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 18 मई, 2009 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1262 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं0 1424 (अ0) द्वारा संस्था का पता बदल दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना लागत को 1000.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 20.00 करोड़ रूपये तक संशोधित कर दिया गया था तथा संस्था के पते "द्वितीय तल, कुशेश मेंन्शन, 22 कावसजी पटेल स्ट्रीट और 48/54 जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुम्बई -400001 " को बदलकर " ओलपम्स हाऊस, द्वितीय तल, (फोर्ट हाऊस के पास) 25 रघुनाथ दाजाजी स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई -400001 "कर दिया गया गया है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) इंडियन सेंटर फार प्लास्टिक इन दी एनवायरनमेंट, द्वितीय तल, कुशेश मेंन्शन, 22 कावसजी पटेल स्ट्रीट और 48/54, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुम्बई -400001 द्वारा चलाई जा रही " पर्यावरण मित्र सह तरीके से प्लास्टिक कूड़े का पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग करना "की परियोजना अथवा स्कीम को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 1124(अ0) में निम्नलिखित सीमा से आगे और संशोधन करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 10 के सामने कॉलम (4), जो धारा 35 क ग के अंतर्गत अनुमत्य कटौती की अधिकतम राशि से संबंधित है, में "1000.00 लाख रुपए" अक्षर, शब्द और आंकड़ों के स्थान पर "20.00 करोड़ रुपये" शब्द, आंकड़ें और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे और कॉलम (1) की प्रविष्टि जो संस्था के नाम से संबंधित है में "इंडियन सेंटर फार प्लास्टिक इन दी एनवायरनमेंट , द्वितीय तल, कुशेश मेंन्शन , 22 कावसजी पटेल स्ट्रीट और 48/54 जन्मभूमि मार्ग , फोर्ट मुम्बई -400001" की प्रविष्टि के स्थान पर "ओलपम्स हाऊस, द्वितीय तल , (फोर्ट हाऊस के पास) 25 रघुनाथ दाजाजी स्ट्रीट , फोर्ट मुम्बई -400001 " प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 98/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2605(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1124(E) dated the 29th September, 2003, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Recycle Recover Reuse of plastic waste in an eco-friendly manner" by Indian Centre for Plastics in the Environment, 2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai - 400001, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1424(E) dated the 4th September, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O.1262(E) dated the 18th May, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-2010;

And whereas by notification number S.O.1424(E) dated 4th September, 2006 the address of the institution was changed;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for for enhancing the project cost from Rs.1000.00 lakh to Rs.20.00 crore and amending the address from "2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai – 400001" to "Olypmus House, IInd Floor, (near fort house) 25, Raghunath Dajaji Street, fort, Mumbai 400001";

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby specifies the scheme or project "Recycle Recover Reuse of plastic waste in an eco-friendly manner", which is being carried out by Indian Centre for Plastics in the Environment, 2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai - 400001;

(b) further amends the said notification number S.O.1124(E) dated the 29th September, 2003, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 10, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.1000.00 lakh", the letters, figures and word "Rs.20.00 crore" shall be substituted and in column (1) relating to the name of Institution, for the entry "Indian Centre for Plastics in the Environment, 2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai – 400001" the entry "Indian Centre for Plastics in the Environment, Olypmus House, IInd Floor, (near fort house) 25, Raghunath Dajaji Street, fort, Mumbai 400001" shall be substituted..

[No. 98/2009/F.No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2606(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 68 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दीपालय 46, इंस्टीट्यूनल एरिया , डी ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली -110058 द्वारा " औषधालय के लिए भवन का निर्माण , फर्नीचर एवं उपस्करों की खरीद , वैन और मेवात के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य परियोजना का संचालन " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 28 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं0 (का.आ. 0) 1835 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपालय 46, इंस्टीट्यूनल एरिया , डी ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली -110058 द्वारा चलाई जा रही " औषधालय के लिए भवन का निर्माण , फर्नीचर एवं उपस्करों की खरीद , वैन और मेवात के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य परियोजना का संचालन " की परियोजना अथवा स्कीम को 97.18 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 99/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2606(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.68(E) dated the 14th January, 2004, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Construction of building for dispensary, purchase of furniture and equipments, van & running of health project for villagers in rural area of Mewat" by Deepalaya, 46, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1835(E) dated the 28th October, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of building for dispensary, purchase of furniture and equipments, van & running of health project for villagers in rural area of Mewat" being carried out by Deepalaya, 46, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058, without any change in the approved cost of Rs.97.18 lakh , as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-10, 2010-2011 & 2011-2012.

[No. 99/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2607(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा.35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई , 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 388 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हैंडीकैप्पड चिल्ड्रन्स पैरेन्टस एसोसिएशन , प्लाट सं0 के(प्लाट सं0 13 के पीछे),इंस्टीट्यूशनल सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली 110045 द्वारा "निर्माण सहायता/एप्लीकेशन/उपस्कर, वैन्स साज -सज्जा और स्पैस्टिक्स गृह का संचालन " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 25 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 28 मार्च , 2001 की अधिसूचना सं0 का.आ. 290 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 का. आ. 224 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की

अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 23 अक्तूबर , 2007 की अधिसूचना सं0 का. आ. 1802 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हैंडीकैप्पड चिल्ड्रन्स पैरेन्टस एसोसिएशन , प्लाट सं0 के(प्लाट सं0 13 के पीछे) , इंस्टीच्यूशनल सेक्टर-5, द्वारका , नई दिल्ली द्वारा " निर्माण सहायता/एप्लीकेशन /उपस्कर, वैन्स साज - सज्जा और स्पैस्टिक्स गृह का संचालन " की परियोजना अथवा स्कीम को 100.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 245.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 100/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]
नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2607(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 25, "Construction, aids/application/equipments, vans, furnishing and running of Home for spastics" by Handicapped Children's Parents Association, Plot No.K (Behind Plot No.13), Institutional Sector-5, Dwarka, New Delhi - 110045, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.290(E) dated the 28th March, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.224(E) dated the 23rd February, 2004 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1802(E) dated the 23rd October, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being tisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under b-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a rther period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) ead with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby otifies the scheme or project "Construction, aids/application/equipments, vans, furnishing and running of Iome for spastics" being carried out by Handicapped Children's Parents Association, Plot No.K (Behind lot No.13), Institutional Sector-5, Dwarka, New Delhi - 110045, without any change in the approved cost f Rs.245.00 lakh plus a corpus fund of Rs.100.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further eriod of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-10, 2010-2011 & 2011-2012.

[No. 100/2009/F.No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2608(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 अक्तूबर , 2003 की अधिसूचना सं0 (का.आ. ) 1237 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डा0 अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट चोकसी वाडी के पास , राधा कृष्ण मंदिर के सामने, रैन्डर रोड , सूरत, गुजरात-395009 द्वारा " डा0 अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट द्वारा छात्रावास का संचालन , स्वास्थ्य, स्वयं रोजगार परियोजना का संचालन " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 5 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई , 2007 की अधिसूचना सं0 (का.आ. ) 1160 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा0 अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट चोकसी वाडी के पास , राधा कृष्ण मंदिर के सामने रैन्डर रोड , सूरत, गुजरात-395009 द्वारा चलाई जा रही " डा0 अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट द्वारा छात्रावास का संचालन , स्वास्थ्य, स्वयं रोजगार परियोजना का संचालन " की परियोजना अथवा स्कीम को 275.00 लाख रुपये(कार्पस निधि) की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 101/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2009

S.O. 2608(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1237(E) dated the 28th October, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Running of hostel, medical, self-employment projects by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust" by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Near Choksi Vadi, Opp. Radha Krishna Temple, Rander Road, Surat, Gujarat - 395009, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1160(E) dated the 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of hostel, medical, self-employment projects by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust" being carried out by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Near Choksi Vadi, Opp. Radha Krishna Temple, Rander Road, Surat, Gujarat - 395009, without any change in the approved cost of Rs.275.00 lakh (corpus fund), as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-10, 2010-2011 & 2011-2012.

[No. 101/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2609(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 27 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 (का.आ.) 1365 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नव भारत जागृति केन्द्र, हेड आफिस ग्राम बहेरा , पो0 आ0 ब्रिन्दावन, द्वारा चौपारण, जिला हजारीबाग-825301 (झारखंड) द्वारा " गरीब और सीमांत सामाजिक वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहयोग योजना " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 15 फरवरी , 2007 की अधिसूचना सं0 (का.आ.) 242 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव भारत जागृति केन्द्र, हेड आफिस ग्राम बहेरा , पो0 आ0 ब्रिन्दावन, द्वारा चौपारण, जिला हजारीबाग-825301 (झारखंड) द्वारा " गरीब और सीमांत सामाजिक वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहयोग योजना " की परियोजना अथवा स्कीम को 39.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 102/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2609(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1365(E) dated the 27th November, 2003, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Education and Health support Scheme for Children of poor and socially marginalized class" by Nav Bharat Jagriti Kendra, Head Office Village Bahera, PO Brindvan, Via Chouparan, District Hazaribag – 825301 (Jharkhand), as an eligible project or scheme for a period of three year beginning with assessment year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.242(E) dated the 15th February, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Education and Health support Scheme for Children of poor and socially marginalized class" being carried out by Nav Bharat Jagriti Kendra, Head Office Village Bahera, PO Brindvan, Via Chouparan, District Hazaribag – 825301 (Jharkhand), without any change in the approved cost of Rs.39.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-10, 2010-2011 & 2011-2012.

[No. 102/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2610(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 15 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं0 का.आ. 234 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने शांति समाज सेवी समिति , 2/377, खटराना स्ट्रीट , फ़र्रूखाबाद – 209625(उत्तरप्रदेश) द्वारा " स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना " की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 13 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह् वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधानं हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शांति समाज सेवी समिति , 2/377, खटराना स्ट्रीट , फ़र्रूखाबाद – 209625(उत्तरप्रदेश) द्वारा " स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना " की परियोजना अथवा स्कीम को 0.714 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 103/2009/फा. सं. वी–27015/1/2009–एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2610(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance ment of Revenue) number S.O.234(E) dated the 15th February, 2007, issued under clause (b) of the ition to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had at serial number 13; "To provide health and employment opportunities" by Shanti Samaj Sevi 2/377, Khatrana Street, Farrukhabad – 209625, (Uttar Pradesh), as an eligible project or scheme iod of three years beginning with financial year 2006-2007;

ınd whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

ınd whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a eriod of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "To provide health and employment opportunities" being carried out by Shanti Samaj Sevi Samiti, 2/377, Khatrana Street, Farrukhabad – 209625, (Uttar Pradesh), without any change in the approved cost of Rs.0.714 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012.

[No. 103/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2611(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई , 1997 की अधिसूचना सं0 का. आ.) 388 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने द बाम्बे कम्यूनिटी पब्लिक ट्रस्ट , रीजेन्ट चैम्बर, पाँचवाँ तल, नरीमन प्वाइंट , मुम्बई द्वारा "मुम्बई, महाराष्ट्र में विद्यालयों को गोद लेना और बालवाड़ी परियोजना " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 23 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च , 2000 की अधिसूचना सं0 का. आ.) 303 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 27 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 का. आ. 1373 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च , 2007 की अधिसूचना सं0 का. आ.) 474 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द बाम्बे कम्यूनिटी पब्लिक ट्रस्ट , रीजेन्ट चैम्बर, पाँचवाँ तल, नरीमन प्वाइंट , मुम्बई द्वारा चलाई जा रही "मुम्बई, महाराष्ट्र में विद्यालयों को गोद लेना और बालवाड़ी परियोजना " की परियोजना अथवा स्कीम को 300.00 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 104/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2611(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance )epartment of Revenue), number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under sub-section (1) read ith clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central overnment had specified at serial number 23, "School Adoption Scheme and Balwadi Project at lumbai, Maharashtra" by The Bombay Community Public Trust, Regent Chamber, 5th Floor, Nariman oint, Mumbai, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 998-1999, which was extended further vide notification number S.O.303(E) dated the 29th March, 2000 r a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide otification number S.O.1373(E) dated the 27th November, 2003 for a period of three year beginning with ssessment year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.474(E) dated e 29th March, 2007 for a period of three year beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being atisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under ıb-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a ırther period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) ead with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby oecifies the scheme or project "School Adoption Scheme and Balwadi Project at Mumbai, Maharashtra" eing carried out by The Bombay Community Public Trust, Regent Chamber, 5th Floor, Nariman Point, Iumbai, without any change in the approved cost of Rs. 300.00 lakhs, as an eligible project or scheme for further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-2010, 2010-2011 and 011-2012.

[No. 104/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2612(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 नवरी,1998 की अधिसूचना सं0का. आ. 54 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने स्टरलाइट फाउंडेशन, 113, समुद्रा हल, एनी बसेंट रोड, वर्लि, मुम्बई द्वारा "386 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम और सिलाई कक्षाओं के लिए यवसायिक शिक्षण केन्द्रों को चलाने और स्थापना" को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर निर्दिष्ट किया गया था; जिसे आगे दिनांक 5 जुलाई,2000 की अधिसूचना सं0का. आ. 635 (अ0) द्वारा निर्धार र्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे दिनांक 3 फरवरी,2004 की अधिसूचना सं0का. आ. 221 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से न वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 15 फरवरी,2007 की अधिसूचना सं0का. आ. 47 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया

और जबकि दिनांक 22 जनवरी,2003 की अधिसूचना सं0 का. आ. 62(अ0)द्वारा "स्थापना और अनुमानित लागत 1063.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 1201.60 लाख रूपये से बढ़ाकर 1063 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 2193.62 लाख रूपये और दिनांक 1 जून,2004 की अधिसूचना सं0 का. आ. 649(अ0) 1063 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 2193.62 लाख रूपये से बढ़ाकर 7242.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 8372.62 लाख रूपये किया है;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टरलाइट फाउंडेशन, 113, समुद्रा महल, एनी बसेंट रोड, वर्लि, मुम्बई द्वारा चलाई जा रही "386 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम और सिलाई कक्षाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षण केन्द्रों को चलाने और स्थापना" की परियोजना या स्कीम को 7242.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 8272.62 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 105/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2612(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finan (Department of Revenue), number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under sub-section ( read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), t Central Government had specified at serial number 14, "Setting up and running of vocational traini centers for computer courses and tailoring classes at 386 centres" by Sterlite Foundation, 113, Samu Mahal, Annie Besant Road, Worli, Mumbai, as an eligible project or scheme for a period of three ye beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification num S.O.635(E) dated the 5th July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 20 2002, which was extended further vide notification number S.O.221(E) dated the 23rd February, 2004 a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 and which was extended further v notification number S.O.247(E) dated the 15th February, 2007 for a period of three years beginning w financial year 2006-2007;

And whereas by notification number S.O.62(E) dated the 22nd January, 2003 the existing e "Setting up and estimated cost was enhanced from Rs.1201.60lakh including a corpus fund of Rs.1063.00 lakh to Rs.2193.62 lakh including a corpus fund of Rs.1063.00 lakh, vide notification nu S.O.649(E) dated the 1st June, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs.2193.62 lakh includi corpus fund of Rs.1063.00 lakh to Rs. 8372.62 lakh including a corpus fund of Rs. 7242.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Setting up and running of vocational training centers for computer courses and tailoring classes at 386 centres" being carried out by Sterlite Foundation, 113, Samudra Mahal, Annie Besant Road, Worli, Mumbai, without any change in the approved cost of Rs.8272.62 lakh including a corpus fund of Rs.7242.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period@f three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012.

[No. 105/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2613(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर,2008 की अधिसूचना सं0सां0आ0 2370 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने थरमैक्स सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन,4,थरमैक्स हाउस, पुणे मुम्बई रोड, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 द्वारा "दा स्कूल के.सी ठाकरे विद्या निकेतन इंगलिश मिडियम स्कूल को चलाने" की परियोजना को कर वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 27 पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 1.85 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.50 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए -

(क) थरमैक्स सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन,4,थरमैक्स हाउस, पुणे मुम्बई रोड, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 द्वारा "दा स्कूल के.सी ठाकरे विद्या निकेतन इंगलिश मिडियम स्कूल को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतदद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

(ख) दिनांक 3 अक्तूबर,2008 की उक्त अधिसूचना सं0 सां0आ0 399 (अ0) में आगे संशोधन निम्नलिखित सीमा तक करती है, नामत: -

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम स0 27 के कॉलम (4) जो कि कटौती के रूप में अनुमन्य की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित है में धारा 35 कग के अन्तर्गत "1.85 करोड़ रुपये के अक्षर, आंकड़े और शब्द के स्थान पर "3.50 करोड़ रुपए अक्षर, आंकड़े, शब्द" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 106/2009/फा. सं. वी–27015/1/2009–एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

3724/G1/09-3

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2613(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.2370(E) dated the 3rd October, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 27, "Running the School K.C. Thackeray Vidya Niketan English Medium School" by Thermax Social Initiative Foundation, 4, Thermax House, Pune Mumbai Road, Shivajinagar, Pune - 411005, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-2009;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from Rs.1.85 crore to Rs.3.50 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -
(a) hereby specifies the scheme or project "Running the School K.C. Thackeray Vidya Niketan English Medium School", which is being carried out by Thermax Social Initiative Foundation, 4, Thermax House, Pune Mumbai Road, Shivajinagar, Pune - 411005;
(b) further amends the said notification number S.O.2370(E) dated the 3rd October, 2008, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 27, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs Rs.1.85 crore", the letters, figures and word "Rs.3.50 crore" shall be substituted.

[No. 106/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

**का.आ. 2614(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर,1998 की अधिसूचना सं0:आ.का.। 832 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने ई एन टी चेरिटेबल ट्रस्ट, 4, फिल्का, दफ्तरी रोड, मुम्बई - 400097 द्वारा " उपस्करों की खरीद, स्कूल के लिए भवन निर्माण और बंदनगडी, मलाड ईस्ट, मुम्बई में कानों की देखभाल हेतु केन्द्र" को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर अधिसूचित किया मया था; जिसे आगे दिनांक 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0: आ.का. 564 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षो की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे दिनांक 3 फरवरी,2006 की अधिसूचना सं0:आ.का.। 142 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 16 जुलाई,2007 की अधिसूचना सं0 आ.का.) 1153 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 11 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई एन टी चेरिटेबल ट्रस्ट, 4, फिल्का, दफ्तरी रोड, मुम्बई - 400097 द्वारा चलाई जा रही "उपस्करों की खरीद, स्कूल के लिए भवन निर्माण और बंदनगडी, मलाद ईस्ट, मुम्बई में कानों की देखभाल हेतु केन्द्र" की परियोजना या स्कीम को 375.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 107/2009/फा. सं. वी–27015/1/2009–एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2614(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.832(E) dated the 18th September, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, "Purchase of equipments, construction of building for school and centre for the care of ear at Bandangari, Malad East, Mumbai" by ENT Charitable Trust, 4, Filka, Daftry Road, Mumbai - 400097, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.564(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.142(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of one year beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further vide notification number S.O.1153(E) dated the 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Purchase of equipments, construction of building for school and centre for the care of ear at Bandangari, Malad East, Mumbai" being carried out by ENT Charitable Trust, 4, Filka, Daftry Road, Mumbai - 400097, without any change in the approved cost of Rs.375.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012.

[No. 107/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2615(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 अगस्त,1997 की अधिसूचना सं0सां0आ0 591 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने हाजी अव्दुल मजिद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाकखाना हजई, गांव गोपाल नगर, जिला नगांव, असम -782435 द्वारा "भवन निर्माण,उपस्कर,साज - सज्जा और होजई, जिला नागांव, असम में हस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र को चलाना" की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 13 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे आगे दिनांक 17 नवम्बर,2000 की अधिसूचना सं0का. आ.) 1030 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे दिनांक 19 मार्च,2004 की अधिसूचना सं0सां0आ0 378 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं0का. आ.) 481 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 11 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाजी अव्दुल मजिद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाकखाना होजई, गांव गोपाल नगर, जिला नगांव, असम -782435 द्वारा चलाई जा रही "भवन निर्माण,उपस्कर, साज - सज्जा और हजई, जिला नागांव, असम में हस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र को चलाना" की परियोजना या स्कीम को 7593.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 108/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

S.O. 2615(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.591(E) dated the 20th August, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, "Construction of building, equipment, furnishing and running of Hospital and Research Centre at Hojai, District Nagaon, Assam" by Haji Abdul Majid Memorial Public Trust, P.O. Hojai, Village Gopal Nagar, District-Nagaon, Assam-782435, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.1030(E) dated the 17th November, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.378(E) dated the 19th March, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004 and which was extended further vide notification number S.O.481(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Construction of building, equipment, furnishing and running of Hospital and Research Centre at Hojai, District Nagaon, Assam", being carried out by Haji Avdul Majid Memorial Public Trust, P.O. Hojai, Village Gopal Nagar, District-Nagaon, Assam-782435, without any change in the approved cost of Rs. 7593.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012.

[No. 108/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2616(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अगस्त,1993 की अधिसूचना सं0का. आ. 602 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने हेल्पेज इंडिया, सी-14, कुतुब इन्सटीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110016 द्वारा "कोढ़ग्रस्त बुजुर्गों और कैंसर मरीजों को चिकित्सा देखभाल, बुजुर्ग व्यक्तियों को घर का प्रावधान और निराश्रित बुजर्ग महिलाओं के लिए पुनर्वास, आंखों के कैंप" की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1993-1994 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 12 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे आगे दिनांक 3 मई, 1995 की अधिसूचना सं0:का. आ.) 405 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष वर्ष 1995-1996 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं0का. आ. 220 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे दिनांक 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0:का. आ. 553 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे दिनांक 24 जनवरी,2005 की अधिसूचना सं0:का. आ.) 82 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004 - 2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं0 का. आ. 482 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 11 जनवरी, 1994 की अधिसूचना सं0 का. आ. 17 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 12.95 00 लाख रूपये से 1295.00 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया था; दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं0 का. आ. 510 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 1295. 00 लाख रूपये से 2000.00 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया था; दिनांक 18 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं0 का. आ. 1046 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 2000. 00 लाख रूपये से 4000.00 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया था; दिनांक 24 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं0 का. आ. 82 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 4000. 00 लाख रूपये से 6500.00 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया था और दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं0 :का. आ.) 2199 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 6500. 00 लाख रूपये से 9500.00 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 17 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 9500.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 120.00 करोड़ विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते "कोढ़ग्रस्त बुजुर्गों और कैंसर मरीजों को चिकित्सा देखभाल, बजुर्ग व्यक्तियों को घर का प्रावधान और निराश्रित बुजर्ग महिलाओं के लिए पुनर्वास, आंखों के कैंप की परियोजना या स्कीम के संबंध में दिनांक 12 अगस्त,1993 की उक्त अधिसूचना सं0 का. आ. 602 में निम्न सीमा तक संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम स0 12 के कॉलम (4) जो कि कटौती के रूप में अनुमन्य की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित है में धारा 35 क ग के अन्तर्गत "95.00 करोड़ रुपये के अक्षर, आंकड़े और शब्द के स्थान पर "120.00 करोड़ रुपए अक्षर, आंकड़े, शब्द" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 109/2009/फा. सं. वी-27015/1/2009-एस ओ (एन.सी.)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

**S.O. 2616(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993, issued under sub-section (1) of section 35AC of the Income Tax Act, 1961, read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12 "Medical care to old persons Leprosy and cancer patients, provision of home to old persons rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps" of Helpage India, Helpage India, C-14. Qutab Institutional Area, New Delhi-110016 as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1993-1994, which was extended further vide notification number S.O.405(E) dated the 3rd May, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996, which was extended further vide notification number S.O.220(E) dated the 16th March, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.553(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three year beginning with assessment year 2001-2002; which was further extended vide notification number S.O.82(E) dated the 24th January, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was further extended vide notification number S.O.482(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-2008;

And whereas by notification number S.O.17(E) dated the 11th January, 1994 the estimated cost was enhanced from Rs.12.95.00 to Rs.1295.00 lakh, vide notification number S.O.No.510(E) dated the 26th May, 2000 estimated cost was enhanced from Rs.1295.00 lakh to Rs.2000.00 lakh, vide notification number S.O.1046(E) dated the 18th October, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs.2000.00 lakh to Rs.4000.00 lakh, vide notification number S.O.82(E) dated the 24th January, 2005 the estimated cost was enhanced from Rs.4000.00 lakh to Rs.6500.00 lakh and vide notification number S.O.2199(E) dated the 12th December, 2007 the estimated cost was enhanced from Rs.6500.00 lakh to Rs.9500.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seventeen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from Rs.9500.00 lakh to Rs.120.00 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 35AC of the Income Tax Act, 1961, read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 in respect of the scheme or project "Medical care to old persons Leprosy and cancer patients, provision of home to old persons rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps" amends the said notification number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993, to following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 12, in colums (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs. Ninety Five Crore", the letters, figures and word "Rs.120.00 crores" shall be substituted.

[No. 109/2009/F. No. V-27015/1/2009-SO (NAT. COM.)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.